FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) मुकाम बायतु

बांकाराम बनाम हीराराम

किस्म मुकदमा धारा 88,188 नं. 3 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7.1.19	प्रार्थी/~~वादी~~/अपीलांट के वकील श्री [illegible] ने यह प्रार्थना पत्र/~~वाद~~/अपील धारा 88, 188 RTAct राजस्थान ~~काश्तकारी~~/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /~~प्रतिवादी~~/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 15/1/19 को पेश हो। [signature]	
15/01/19	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगण की ओर से वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी द्वारा वकालतनामा मय इकबाली जवाबदावा पेश किया गया। वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में वादी स्वयं PW-1- बांकाराम पुत्र श्री हीराराम कौम- जाट निवासी- धतरवालों का तला पटवार हल्का छीतर का पार तहसील बायतु जिला- बाड़मेर व PW-2- रामाराम पुत्र प्रभुराम कौम- जाट निवासी- धतरवालों का तला छीतर का पार तहसील- बायतु जिला बाड़मेर तथा प्रतिवादी वकील द्वारा प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में DW-1- प्रतिवादी स्वयं हीराराम पुत्र श्री प्रभुराम कौम- जाट निवासी- धतरवालों का तला छीतर का पार तहसील- बायतु जिला- बाड़मेर के शपथ- पत्र पेश किये गये जिसे शामिल	बांकाराम [signature] [signature]

पत्रावली किया गया। अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक- 13/02/19 को पेश हो।

[signature]

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

Scanned by CamScanner

तारीख

13/02/19 वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या-1 तर्क में ईकबालिया है। वादी वकील की एडमिशन बहस सुनी गई। वादी का वाद संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी की संयुक्त रूप से पुश्तैनी जमीन ग्राम धनवालों का तला पटवार हल्का- छीतर का पार तहसील - बायतु जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर- 197, $\frac{409}{198}$ रकबा क्रमशः 0-06, 76-01 बीघा भूमि आई हुई है। उक्त भूमि वादी व प्रतिवादी की पुश्तैनी होने से वादी व प्रतिवादी का बराबर-बराबर का हक हिस्सा है। वक्त सेटलमेन्ट वादग्रस्त आराजी वादी के दादा प्रभुराम के नाम दर्ज हुई थी। तथा प्रभुराम की फौतगी के पश्चात उक्त आराजी प्रभुराम के ~~नाम दर्ज हुई~~ पुत्र हीराराम के नाम दर्ज हुई जो वादीगण के पिता है। उक्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है। परन्तु वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दर्ज नहीं है। वादी के पिता प्रतिवादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादी को प्रतिवादी ने परिवार से अलग कर दिया है व उनके हिस्से में आने वाली भूमि मौके पर बांटकर अलग करके दे दी है। जिसपर वादी ढाणी व टांके बने हुए है। परन्तु वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने से वादी को यह वाद घोषणा का प्रस्तुत करना पड़ा।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी द्वारा वकालातनामा

सहायक कलेक्टर (SDO)
बायतु

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मय ईकबालिया जवाबदावा पेश कीया गया। जिसमें वादी का प्रतिवादी के साथ उक्त विवादित अराजी में बराबर-बराबर हिस्सा होना स्वीकार कीया गया। वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में वादी स्वयं PW-1- कोजाराम पुत्र हीराराम कौम-जाट निवासी- थलरवालों का तला पटवार मण्डल- छीतर का पार तहसील-बायतु जिला-बाड़मेर व स्वतंत्र गवाह PW-2- रामाराम पुत्र श्री प्रभुराम कौम-जाट निवासी- (थलरवालो का तला) छीतर का पार तहसील- बायतु जिला- बाड़मेर तथा प्रतिवादी वकील द्वारा प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में प्रतिवादी स्वयं DW-1- हीराराम पुत्र श्री प्रभुराम जाति- जाट निवासी- (थलरवालों का तला) छीतर का पार तहसील- बायतु जिला- बाड़मेर का शपथ-पत्र पेश कीये गये जिसे शामिल पत्रावली कीया गया। वादी व प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य शपथ-पत्रों में भी वादी व प्रतिवादी का बराबर-बराबर हिस्सा होना बताया गया। इसने पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रिकार्ड नकल चालू जमाबन्दी संवत्- 2073 से 2076 व नकल प्रथम खतौनी संवत्- 2012 से 2031 का अवलोकन किया गया, बाद अवलोकन उक्त विवादित अराजी पेतृक व वादी तथा प्रतिवादी का बराबर-बराबर हिस्सा होना साबित होता है। अतः वादी का वाद स्वीकार कीया जाकर विवादित अराजी मौजा- थलरवालों का तला पटवार मण्डल- छीतर का पार तहसील- बायतु जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर क्रमंश: 197 409/198 रकबा क्रमंश: 0-06, 76-01 बीघा भूमि में वादी को प्रतिवादी के साथ सहखातेदार बराबर घोषित कीया जाता है। तहसीलदार बायतु निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करें। डिग्री पर्चा जारी होकर	

पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

Scanned by CamScanner

डिकरी व मुकदमे इब्तदाई

अदालत सहायक कलक्टर एवं S.D.O. श्री सुभाष यादव R.A.S. मुकाम बायतु

इजलास..........

दावा बाबत रा॰ का॰ धारा 88, 188 ... वांकाराम पुत्र हीराराम जाति- जाट नि॰ धतरवालो हाल सरा धोलर हाल पार बनाम हीराराम पुत्र प्रभुराम जाति-जाट नि॰ धतरवालो हाल सरा धोलर हाल पार

मुकदमा नं. 03/19 सन् 2019

यह मुकदमा आज इनाफिसाल कलई रूबरू न्यायालय

व हाजरी श्री खेताराम जाखड़ एड॰ मिनजानिब मुदई व श्री कुम्भसिंह चौधरी एड॰ मिनजानिब मुदायली पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि वादी का दावा स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी मौजा- धतरवालों का सरा पटवार मण्डल धोलर का पार तहसील- बायतु जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर- क्रमशः 197, 409/130 रकबा क्रमशः 0-06, 76-01 बीघा भूमि में वादी को प्रतिवादी के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बायतु निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना- अपना वहन करें।

कौम.......... मुबलिंग.......... बाबत्..........

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह.......... फीसदी सालाना आज की तारीख से

तारीख बसूलयाबी तक.......... को अदा करें।

(मुहर: सहायक कलक्टर (SDO) बायतु)

बसन्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13 माह 02 2019 को जारी की गई।

दस्तखत ....

ओहदा सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

मुहर

मुदई	रूपया	पै.	मुदई	रूपया	पै.
स्टाम्प अजीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमीशनर			फीस कमीशनर		
बाबत इजराल हुकमनामा			बाबत इजराज हुकमनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजाना		

नोट इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner